

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
सहायक कलक्टर, करेड़ा

27/1/26

उभय पक्ष उपरिथत पीठासीन अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर है। अवकास पर है / पद रिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 27/1/26....को पेश हो।

रीति  
उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी अनु उपस्थित प्रकरण  
में वादी एवं उनके अधिवक्ता को विधिवत कई मर्तबा  
आवाजे लगाई किन्तु कोई उप. नहीं होने से वादी  
का बयान - अदम हालती अदम पैरवी में खारिज किया  
जाता है। पत्रावली के लिये शुमा 2 होकर दृज निम्न  
से कम है।

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
सहायक कलक्टर करेड़ा

